भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2329
उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

यशस्विनी पहल

†2329. **श्री अनुराग शर्माः**
श्री त्रिवेंद्र सिंह रावतः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
सुश्री कंगना रनौतः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

श्रेणी-II और श्रेणी-III शहरों में यशस्विनी पहल के बारे में जागरूकता और इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

यशस्विनी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों के बीच मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह महिला उद्यमियों के लिए उद्यम/उद्यम सहायता पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से औपचारीकरण को बढ़ावा देती है ताकि उन्हें मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों तक पहुँच के लिए सक्षम बनाया जा सके। यशस्विनी अभियान टियर-II और टियर-III शहरों/कस्बों पर केंद्रित है। यशस्विनी का उद्देश्य ऋण तक पहुँच, बाजार तक पहुँच, प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और मार्गदर्शन पर निरंतर सहायता प्रदान करना है। 19 जुलाई, 2024 को जयपुर, राजस्थान में इसके उद्घाटन समारोह के बाद से उद्यम/उद्यम सहायता पोर्टल पर पाँच लाख से अधिक महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है। यशस्विनी अभियान रांची, झारखंड, अगरतला, त्रिपुरा, गुवाहाटी, असम, मोगा, पंजाब और कोलकाता, पश्चिम बंगाल में भी आयोजित किए गए हैं।

****